कार्यालय कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला खण्ड, लच्छीपुर, गोरखपुर

नीलामी सूचना संख्याः 02/2020–21

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर के भण्डार परिसर में निम्नांकित तालिका के अनुसार निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति सामग्री का निरीक्षण नीलामी की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक उक्त स्थान पर सहायक अभियन्ता (भण्डार)/ अवर अभियन्ता (भण्डार) सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर से सम्पर्क करके कर सकते हैं। बोली बोलने वाले को बोली कि तिथि तक प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक निम्न तालिका के अनुसार धरोहर राशि (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत फिक्स डिपाजिट के रूप में) जो कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर के नाम बन्धक होनी चाहिये, बंधक धनराशि ही मान्य होगी एवं उसे पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड या मतदान पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड जमा कर टोकन प्राप्त करना आवश्यक होगा। नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित नीलामी प्रपत्र दिनांक 27.08.2020 से 29.08.2020 तक पूर्वान्ह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

लाट–1

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	नीलामी प्रपत्र का मूल्य	नीलामी का दिनांक	धरोहर धनराशि	धरोहर धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि
1	पी0वी0सी0 छीलन प्लास्टिक स्क्रैप	04.00एम0टी0	100.00 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	01.09.2020	4,000.00	01.09.2020

नोटः– अन्य नियम एवं शर्तों हेतु सिंचाई विभाग की वेबसाईट www.upinfo.org एवं www.idup.gov.in तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड का अवलोकन करें।

(धर्मेन्द्र कुमार)
कार्य प्रबन्धक

नीलामी की शर्तें:—

1. नीलामी प्रपत्र दिनांकः 01.09.2020 को दोपहर 1:00 बजे तक धरोहर धनराशि एवं अन्य अभिलेखों के साथ कार्यालय कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला खण्ड,लच्छीपुर, गोरखपुर में जमा किये जायेगे।
2. बोलीदाता को अपना फोटो पहचान पत्र, निवास स्थान अथवा/एवं कार्यालय का पता, दूरभाष/मोबाइल नं0 नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र व पते के सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
3. सामग्री जहां है जैसी है, के आधार पर नीलामी की जायेगी।
4. नीलामी निर्धारित तिथि/समय/स्थान पर नीलामी हेतु गठित समिति के समक्ष की जायेगी।
5. नीलामी की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण दिनांक 27.08.2020 से 29.08.2020 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक उक्त स्थान पर सहायक अभियंता (भण्डार)/अवर अभियंता (भण्डार) सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर से सम्पर्क कर सकते है।
6. उच्चतम बोली बोलने वाले को तीसरी बोली (हैमर ब्ला) के तुरन्त बाद, बोली के कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि नकद जमा करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. नीलामी की स्वीकृति, विभाग/शासन स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिन्हे बिना कारण बताये नीलामी स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा। सक्षम अधिकारी से नीलामी स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना प्रेषित करने के एक सप्ताह के अन्दर अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी, तदोपरान्त 15 दिन के अन्दर कार्य प्रबन्धक के लिखित आदेश पर सामग्री को उठाना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में 75 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा न करने पर पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. उच्चतम बोलीदाता को बोली के अनुसार कुल मूल्य का नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देना होगा।
9. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी अस्वीकृत किये जाने पर जमा 25 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. उच्चतम बोलीदाता को, नीलामी का अनुमोदन होने एवं सामग्री उठाने तक दर्शित सामग्री का सुरक्षा प्रबन्ध स्वयं करना होगा। सफल बोलीदाता के जोखिम एवं उत्तरदायित्व पर नीलामी की गई सामग्री, नीलामी परिसर में रखी जायेगी।
11. सामग्री की दर्शायी गई मात्रा को कम अथवा अधिक किये जाने का अधिकार नीलामीकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
12. नीलामी समस्त प्रक्रिया वित्तीय हस्त पुस्तिका—5 के पैरा 260 । एपेन्डिक्स— **XIX-D** के अनुसार की जायेगीं
13. नीलामी के सम्बन्ध में किसी तरह का विवाद होने पर उसका निस्तारण विभागाध्यक्ष/सचिव सिंचाई द्वारा नामित ऑर्बिटेटर द्वारा किया जायेगा जो बोलीदाता को मान्य होगा।
14. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद केवल जनपद गोरखपुर के न्यायालय के अधीन होगा।

(धर्मेन्द्र कुमार)
कार्य प्रबन्धक